



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  
Central Board of Secondary Education

Online School Affiliation & Monitoring System R-2.0

As per new Affiliation Bye-Laws



Grant Letter for- EX-00968-1920

NO. CBSE/AFF/1730128/EX-00968-1920/2019-20

Dated: 05/10/2020

The Manager,  
Bihani Childrens Academy  
Sriganga Nagar Gaganpath Jawahar Nagar Sriganga Nagar Rajasthan  
RAJASTHAN, SRI GANGANAGAR, 335001  
(M. 0154 2460807, 2461807)

Sub: Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level - regarding  
Ref: Application No. EX-00968-1920

With reference to your application on the subject cited above, I am directed to convey the approval for Extension of General Affiliation as per details given below:-

**Affiliation No :** 1730128  
**Affiliated for :** Senior Secondary  
**Category :** Extension of General Affiliation  
**Period of Extension of :** 01.04.2019 to 31.03.2024

In view of current COVID-19 pandemic which has most severely affected the normal functioning of schools in the country, however, the school is pursuing to provide extension of affiliation so as to avoid any difficulty for the purpose of admission /registration/ obtaining basic essential of various safety certificates from appropriate state authorities.

Therefore, the competent authority of the Board after due consideration has accorded approval for extension of Affiliation based on details/data submitted by school in online application for a further period of 5 years subject to fulfilment of following conditions:

1. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time.
2. The School is required to apply on online for further extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws, 2018.
3. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned as mentioned in certificate as per appendix III issued by District Education Officer (DEO) /equivalent officer
4. The school should ensure the strong governance and management of its activities in way of comprehensive and quantifiable planning in way of curriculum planning, infrastructure, resources, physical education, staff development and other co-curricular areas.
5. The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and keep a copy thereof for reference purpose and also advised to visit CBSE websites i.e. <http://cbseacademic.nic.in/> & <http://cbse.nic.in/> for updates. The School is expected to see all circulars on these CBSE websites regularly.
6. The school will strictly adhere to all rules regarding safety of students including Fire fighting and Transportation, etc. Further, School will provide adequate facilities for potable drinking water and clean healthy and hygienic toilets with washing facilities for boys and girls separately in proportion to the number of students. The school will ensure that Fire, Building, health and sanitation and safe drinking water certificates are renewed from time to time, as per norms.
7. Admission to the school is to be restricted as per relevant rules of Examination Bye-laws and rule 2.4.5, 2.6.5, 7.1, 7.2, 8.4.2, 5.4.10 & other relevant rules of Affiliation Bye laws.
8. The school is required to follow rule No 2.4.7 and 2.4.8 of Affiliation Bye Laws regarding Books and Quality of Education.
9. The number of sections may be restricted as per the Appendix V of the Affiliation Bye-Laws of the Board. For increase in number of sections, the school shall apply online to the Board as per rule 15.7 of Affiliation Bye laws.
10. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity related to running of school affiliated to CBSE. The school shall also be liable to bear all legal charges incurred by the board, if any, arising out of these circumstances.
11. The school must strive to promote conservation of environment on their campus through rain water harvesting, segregation of waste at source, recycling of organic waste, proper disposal of waste including electronic waste, use of energy saving and energy efficient electrical equipment, greening of campus, use of solar energy, education and awareness amongst children on environment conservation and cleanliness etc.
12. The school shall submit their information through Online Affiliated School Information System (OASIS) as per details given in circular no. Affiliation-06/2018 dated 24.04.2018. Link for OASIS is available on Board's website [www.cbse.nic.in](http://www.cbse.nic.in)
13. The optimum Section teacher ratio of 1:1.5 as well as student teacher ratio of 30:1 is to be maintained to teach various subjects and school shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye Laws of the Board.
14. Every affiliated school shall sponsor regularly its bonafide and eligible students in Boards Class X and Class XII examinations from the year mentioned while granting affiliation/up-gradation regularly without break or inform with reasons thereof in writing well in time about the non-sponsoring of the candidates.
15. Funding of coaching institutions in the school premises in the pretext of providing coaching to the students for various examinations is not permitted by the board. Strict action would be taken on defaulters.
16. The Manager and the Principal of the school shall be jointly responsible for the authenticity of the online/offline documents/ information/data submitted by the School to the Board.
17. Apart from rules to be adhered to by the school as mentioned above for drawing specific attention of the school authorities, the school authorities are required to acquaint themselves with all the rules contained in Affiliation & Examination Bye-laws and circulars/guidelines/notification issued by the Board from time to time. Any laxity in following rules/instructions of the Board will lead to action against school as per clause 12 of Affiliation Bye-laws-2018.
18. The genuineness of information / documents / data submitted shall be of school and in case, if found otherwise the school shall invite action as per affiliation Bye laws-2018
19. The school shall be responsible for submission of any pending compliance, reply of show cause /legal notice/ complaint and for submission of date/information sought by the Board. The extension of 05 years shall be from the date of cessation of previous validity of extension of affiliation
20. The school is required to remit pending fee, if any
21. The extension of affiliation is being granted as one time measure. However, the cases where the Show Cause Notice was communicated to the school / legal cases are pending against the school, the board will take appropriate decision in this matter
22. The school shall renew all mandatory safety certificate i.e. Safe Drinking Water & Health and Hygiene certificate, Fire Safety Certificate and Building Safety Certificate from concerned Govt authorities from time to time
23. The school shall also maintain record of certificate, compliances, data and other records/information and shall be fully responsible to produce all such records before Board and appropriate Government Authorities when asked for, failing which necessary action shall be taken as per Affiliation-Bye-Laws of the Board. The school shall also be liable for action by the appropriate Govt., in case of violation / non-compliance of the concerned Govt. norms
24. The Board reserves the right to conduct inspection of school as per clause 11.2 and 11.4 of Affiliation Bye Laws.

Deputy Secretary/ Joint Secretary (Affiliation)

This is a computer-generated document. No signature is required.

प्रमाणित

  
PRINCIPAL  
BIHANI CHILDREN'S ACADEMY  
SRI GANGANAGAR (RAJ.)

= X 110

## प्रमाण-पत्र

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित सार्वजनिक प्रत्यास राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम, 1959 (1959 का 42) के अधीन सहायक देवस्थान आयुक्त बिकानेर के कार्यालय में आज के दिन यथावत् रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

1. सार्वजनिक प्रत्यास का नाम सेठ गिरधारी लाल बिहाजी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट,  
श्री गंगानगर
2. सार्वजनिक प्रत्यास के रजिस्टर में संख्या 9/82/गंगानगर
3. प्रमाण-पत्र श्री कुशील कुमार बिहाजी को जारी किया गया।



ने हस्ताक्षरों से आज दिनांक 12 मास मई सन् 1982 को दिया गया।

EX 12  
13-3-19


हस्ताक्षर

दिनांक

कुशील कुमार बिहाजी  
12 मई 1982  
सेठ गिरधारी लाल बिहाजी  
श्री गंगानगर

प्रमाणित

  
PRINCIPAL  
BIHANI CHILDREN'S ACADEMY  
SRI GANGANAGAR (RAJ.)

  
PRESIDENT  
Seth G. L. Bihani S.D. Shiksha Trust  
Sri Ganganagar (Raj.)

**संस्कृत विभाग, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।**

**प्रमाणिक शिक्षा/मा/अ-5/बीकानेर संख/99**

दिनांक: 10/11/99

तपिय,  
राज्यीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
शिक्षा ब्लॉक [2] सामुदायिक विभाग,  
ग्राम विहार, विकास मार्ग,  
सई-विल्ली ।

**विषय:-** संक्षेप विद्यु अनापत्त प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में ।

महोदय,

राज्य त रक्षार के पत्रांक प. 1488/शिक्षा-1/92 दिनांक 12.6.98 द्वारा अनुमोदन के पत्रकार कीर्तिका विद्युन संजगी स्कूल, श्रीगंगापुर को माध्यमिक स्तर तक शिक्षा माध्यम शिक्षा विभाग त 1998-99 में आपके बोर्ड त तदा यमि संक्षेप प्रमाण को जारी के त हत विभाग को कोर्ष आपत्त नही होगी । संक्षेप प्रमाण विद्यु जारी की एक प्रति हत विभाग को भी भिजवाई जायि ।

उपनिर्देशक/माध्यमिक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर ।

प्रतिलिपि निम्न को सुपनार्थ र्षी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1। उप कासम तपिय, शिक्षा [मा-1] विभाग, राजस्थान, बीकानेर ।
- 2। तपिय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, बीकानेर ।
- 3। प्रधानाध्यापक, शिक्षा विद्युन संजगी स्कूल, श्रीगंगापुर ।
- 4। अनुमान अधिकारी, प्रमाण सं- 6

पनागित

*[Signature]*  
उपनिर्देशक/माध्यमिक

*[Signature]*  
PRINCIPAL  
BIHANI CHILDREN'S ACADEMY  
SRI GANGANAGAR (RAJ.)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीगंगानगर।

दिनांक - 27-8-17

क्रमांक / वि.शिक्षा / प्रा.शिक्षा / गंगानगर / 2017 / 2097

(आर.टी.ई. एक्ट के अंतर्गत पुनः पंजीयन)  
मान्यता कोट संख्यांक 1036

प्रकाश  
संयुक्त विद्यालयीय विद्यापी सनाथन धर्म शिक्षा ट्रस्ट  
श्रीगंगानगर।

विषय- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अर्धीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

परिचय

आपको दिनांक 29.02.2013 के आदेश और इस संबंध में विद्यालय के साथ पर्यवेक्षणकर्ता/निरीक्षण के प्रतिनिधियों से श्रीगंगानगर एकेडमी, श्रीगंगानगर (अंग्रेजी माध्यम) को दिनांक 01.01.2013 से 01.01.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए अतिरिक्त मान्यता प्रदान करने की समझौता प्राप्त हुआ। उपरोक्त सीमित निर्धारित शर्तों को पूरा किए जाने के अनिवार्य है।

1. मान्यता का मूल्य विस्तारयोग्य नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा - 8 के पर्याप्त विद्यालय प्रदान के लिए कोई बंधन विद्यमान नहीं है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा - 1 से उस कक्षा के बालकों की संख्या को 25 प्रतिशत तक असा-पटौस के कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उनके नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदर्शन पुस्तकें भी उपलब्ध करायेगा।
4. धारा 1 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा - 12(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिवर्तन किया जायेगा। एसी प्रतिवर्तन प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता खोलेगा।
5. सीमावर्ती/विद्यालय किसी भी विदेशीय शैली का सामान नहीं करेगा और किसी बालक या उसकी माता-पिता या संरक्षक को किसी सखीय प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण-पत्र न होने के कारण प्रवेश से इंकार नहीं करेगा यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्वतंत्र धर्म जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर अंतर करने का कारण है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि-
  - (i) बाल दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा। प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - (iii) प्राथमिक कक्षा पूरी करने वाले प्राथमिक बालक को नियम - 23 के अर्धीन अधिकृत किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (iv) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निश्चालता प्रस्ताव/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सम्बोधित किया जायेगा।
  - (v) कक्षाएं की गयी अधिनियम की धारा 23 (i) के अर्धीन यथा अधिकृत न्यूनतम अंतरालों का पालन हो जाना है परंतु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रस्ताव पर न्यूनतम अंतराल नहीं है, पालन की अवधि के भीतर एसी न्यूनतम अंतराल अर्जित करेगा।

प्रमाणित

PRINCIPAL  
BIHANI CHILDREN'S ACADEMY  
SRI GANGANAGAR (RAJ.)

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन निर्दिष्ट अपने कार्यों का पालन करता है और

(viii) कल्याणक स्वयं का किसी निजी उद्योगन क्रियाकलापों में निर्याजित नहीं करेगा।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारिक पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा - 19 के अधीन, विद्यालय में उपलब्ध प्रतुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों को नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा - 19 में यथा निर्दिष्ट विद्यालय के मातृको और सनियमों को बनाये रखेगा। प्रथम विरीक्षण के समय प्रतिवेदन में की गई प्रवृत्तियाएँ निम्नानुसार है -

विद्यालय परिसर का क्षेत्र - 29137.4 वर्ग मीटर

कुल निर्मित क्षेत्र - 15899 वर्ग मीटर

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल - 6238 वर्ग मीटर

कक्षा कमरों की संख्या - 30

प्रासादात्मक सह कार्यालय-सह भण्डार कक्ष - 2

बालक और बालिकाओं के लिए पुस्तक शोचालना - 8

प्रासादन सुविधा- उपलब्ध है।

मिड-डे-मोल प्रकान के लिए रसोई- 1

बस रोड पर पदच- उपलब्ध है

विद्यालय के परिसर के मोटर/ब्रीडा खलकुद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

11. विद्यालय के परिसर के मोटर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त यक्षाएँ नहीं बनई जावगी।

12. विद्यालय में नवीन या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और वीशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

13. विद्यालय का राजस्वधान सहायकी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सौरागटी द्वारा या राजस्वधान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा प्रत्याप्त हो रहा है।

14. विद्यालय का किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।


15. विद्यालय के लेखाओं की वार्षिक एकाउंटेंट द्वारा समरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, सौरागधन को भेजी जानी चाहिए।

16. विद्यालय का आजीवन मान्यता काउड संख्या 1036 है। कृपया इसे नाट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी संचार के लिए इस्तेमाल करने।

17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, सौरागधन, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, श्रीगंगानगर द्वारा अधीक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी को एस अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सक्की शर्तों के सतत, अनुसंधान का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कठिनाई को दूर करने के लिए जारी किया जाता है।

18. नामांकनों का पंजीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

19. संलग्न उपबन्ध - 33 के अनुसार अन्य कोई शर्त।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
प्राथमिक श्रीगंगानगर

प्रमाणित

  
PRINCIPAL  
BIHANI CHILDREN'S ACADEMY  
SRI GANGANAGAR (RAJ)

B-5

कार्यालय सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड द्वितीय  
श्रीगंगानगर।

क्रमांक / 10

दिनांक 03.05.18

प्रधानाचार्य  
विहाणी चिल्ड्रनस एकेडमी  
गगन पथ, जवाहर नगर  
श्रीगंगानगर।

विषय :- शिक्षा भवन का सुरक्षा प्रमाण-पत्र वर्ष 2018-2019

महोदय

आपके शिक्षा भवन का निरीक्षण सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 30.04.2018 को किया गया और मौके पर पाया कि संलग्न नक्शे के अनुसार विद्यालय भवन सामान्य अवस्था में सुरक्षित है। अतः उक्त शिक्षा भवन को सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक उपयोग हेतु सुरक्षित है।

संलग्न:- नक्शे

प्रमाणित

  
PRINCIPAL  
BIHANI CHILDREN'S ACADEMY  
SRIGANGANAGAR (RAJ.)

  
भवन  
(रमेश कुमार साथार)  
ASSISTANT ENGINEER  
सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड  
द्वितीय श्रीगंगानगर

## कार्यालय नगर परिषद्, श्री गंगानगर (राजस्थान)

क्रमांक 117/नगर सचिव/2019

दिनांक 15/08/2019

### --: अग्नि सुरक्षा प्रमाण -पत्र :-

सूचित किया जाता है कि विहाणी चिल्ड्रन्स एकेडमी, गगन पथ जवाहर नगर, श्री गंगानगर (राजस्थान) का इस विभाग के अग्निशमन अधिकारी द्वारा श्री अजय कुमार पांडे (प्राचार्य, विहाणी चिल्ड्रन्स एकेडमी) की उपस्थिति में दिनांक 10.08.2019 को अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की आवश्यकता संबंधित निरीक्षण किया गया। निम्न शर्तों के अधीन 01 वर्ष की अवधि के लिये अग्नि सुरक्षा प्रमाण -पत्र जारी किया जाता


शर्तें

सभी अग्नि सुरक्षा यंत्र/प्रणाली एवं निकास द्वार व्यावधान रहित चालू हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।

अग्नि सुरक्षा प्रमाण -पत्र जारी होने के पश्चात् भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण -पत्र को निरस्त माना जायेगा।

अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों का प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाय एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का मॉकड्रिल कर इसका रिकार्ड बनाकर रखा जाए।

अग्नि शमक/कटजापारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक बार अग्नि सुरक्षा प्रमाण -पत्र पर निरीक्षण योग्य होंगे।



प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

दिनांक 15/08/2019

प्रमाणित




PRINCIPAL  
BIHANI CHILDREN'S ACADEMY  
SRI GANGANAGAR (RAJ.)

**PROFORMA REGARDING SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION**  
**CERTIFICATE**

No. 434Date: 18/10/19

It is certified that an inspection team headed by MUHSHI LAL MANCHANDA  
A.E. PHEP. City Sub DIV-II, SGNR. (Name of Officers  
with designation) from PHEP. City Sub DIV-II SGNR (Name of  
Department/Office) inspected the BIHANI CHILDREN'S ACADEMY, GAGAN PATH,  
JAWAHAR NAGAR, SRI GANGANAGAR 335001 (Name & Address of the School) on  
18/10/19 and found that the BIHANI CHILDREN'S ACADEMY, GAGAN PATH,  
JAWAHAR NAGAR, SRI GANGANAGAR 335001 (Name of school) has safe drinking water  
facilities for the students and members of staff of the institution and is maintaining the hygienic  
sanitation condition in the school building & the campus as per the norms prescribed by the  
Central/State/U.T Govt.

The above valid for a period of           .Signature with Seal: Name: M.L. Manchanda (मुन्शी लाल मन्चन्दा)Designation: A.E. PHEP. City Sub DIV-II (जन सेवा अधीक्षक, नगर उपखण्ड द्वितीय श्रीगंगानगर)

To

Principal  
Bihani Children's Academy  
Gagan Path, Jawahar Nagar  
Sri Ganganagar (Rajasthan) 335001

(Name &amp; Address of the Institution)

प्रमाणित



PRINCIPAL  
BIHANI CHILDREN'S ACADEMY  
SRI GANGANAGAR (RAJ)